एस.एस. निज्जर और जे.एस.नारंग, न्यायमूर्ति के समक्ष

राम स्नेही,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड और अन्य ,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 2004 की संख्या 17109
18 नवंबर, 2004

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-याचिकाकर्ता मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपना बकाया जारी करने की मांग कर रहा है-क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर समान राहत के लिए दायर तीन सिविल मुकदमों को खारिज करना-बकाया राशि की समान राहत की मांग करने वाली पांच याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करना, इस सवाल पर स्थिरता की बात - सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को भी खारिज कर दिया, जबकि उसी राहत के लिए एक उचित अदालत के समक्ष एक सिविल मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता दी - याचिकाकर्ता को फिर से उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करने के बजाय - अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग - अड़ियल व्यवहार याचिकाकर्ता का आचरण-याचिकाकर्ता का आचरण उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने को उचित ठहराता है-पीठ ने, हालांकि "द ड्यू प्रोसेस" में दर्ज लॉर्ड डेनिंग एम.आर. के आदेश का पालन करते हुए ऐसा करने से परहेज किया।

माना गया कि याचिकाकर्ता का आचरण ऐसा है कि उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करना उचित होगा। हालाँकि, हम न्याय के व्यापक हित में ऐसा करने से बचते हैं। हम उन्हें कोई भी अनावश्यक प्रचार देने से इनकार करते हैं। न्याय के हित में, हम कोई लागत नहीं लगाते हैं।

(पैरा19)

राम स्नेही, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

निर्णय

एस.एस. निज्जर, न्यायमूर्ति

(1) 18 नवंबर 2004 को, हमने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना और इस मामले में निम्नलिखित आदेश पारित किया:--

"याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना।

खारिज कर दिया गया।

पालन करने के लिए अलग-अलग विस्तृत कारण।

इस स्तर पर, याचिकाकर्ता फिर से अदालत में उपस्थित हुआ और अनुरोध किया कि फैसले की एक प्रति उसके आवास पर भेजी जाए ताकि वह उच्चतम न्यायालय का रुख कर सके।"

यहां, हम कारण बताते हैं।

(2) इस मामले के तथ्यों और याचिकाकर्ता के अड़ियल व्यवहार को देखते हुए, "द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ", लंदन बटरवर्थ्स, 1980 में लॉर्ड डेनिंग एम.आर. की कुछ टिप्पणियों को "इन द फेस" शीर्षक के तहत पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा। न्यायालय-मेरी अपनी उपस्थिति में", जो इस प्रकार हैं:-

XX XX XX

बाद में, जब मैं लॉर्ड जस्टिस बकनील के साथ उसी न्यायालय में लॉर्ड जस्टिस के रूप में बैठा, तो यह समान था लेकिन समान नहीं था। वह बहुत गर्म दिन था. वकील बहुत उत्तेजित वार्तालाप कर रहे थे। एक आदमी अपनी छड़ी लेकर उठा और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। मुझे लगता है, कुछ ताज़ी हवा आने दीजिए। किसी भी कीमत पर हमने उसे न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी नहीं ठहराया। दुर्भावनापूर्ण क्षति से निपटने के लिए हमने उसे बो स्ट्रीट भेज दिया।

फिर भी बाद में, जब मैं अध्यक्षता कर रहा था, हम और अधिक उदार हो गए। प्रत्येक सोमवार की सुबह हम व्यक्तिगत रूप से वादकारियों की सुनवाई करते

हैं। मिस स्टोन अक्सर वहाँ रहती थीं। उसने हमारे सामने आवेदन दिया. हमने इससे इनकार कर दिया. वह अपनी पहुंच के भीतर एक किताबों की अलमारी के साथ आगे की पंक्ति में बैठी थी। उसने बटरवर्थ के "कर्मचारियों के मुआवज़े के मामले" में से एक उठाया और हम पर फेंक दिया। यह लॉर्ड जस्टिस डिप्लॉक और मेरे बीच से गुजरा। उसने दूसरा उठाया. वह भी विस्तृत हो गया। उसने कहा, "मेरे पास गोला-बारूद ख़त्म हो रहा है." हमने थोड़ा नोटिस किया. उसे उम्मीद थी कि हम उसे अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराएंगे - सिर्फ अपनी ओर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए (जोर दिया गया)। चूँकि हमने कोई नोटिस नहीं लिया। वह दरवाजे की ओर चली गयी. वह यह कहते हुए चली गई: "मैं आग के नीचे आपकी शीतलता के लिए आपके आधिपत्य को बधाई देता हूं"।

(3) इस मामले में याचिकाकर्ता ने कुछ इसी तरह का माहौल बनाया था। इसलिए फैसले की प्रस्तावना.

(4) इससे पहले, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत 2000 की सीडब्ल्यूपी संख्या 14569 दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया था। यह रिट याचिका के.एस. कुमारन और एन.के. सूद. जे.जे. की खंडपीठ के समक्ष 31 अक्टूबर, 2000 को सुनवाई के लिए आई। डिवीजन बेंच ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से याचिकाकर्ता के वकील के रूप में श्री पंकज मिगलानी, वकील को नियुक्त किया। मामले को 8 नवंबर, 2000 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। चूंकि उपरोक्त वकील हरिद्वार में स्थानांतरित हो गए थे, 8 नवंबर, 2000 को डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता की ओर से श्री एस.एस. राणा, वकील को नियुक्त किया। मामले को 22 नवंबर, 2000 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एक अन्य खंडपीठ जिसमें आर.ए मोंगिया और के.सी. गुप्ता, जे.जे. शामिल थे , 7 फरवरी 2001 को 2 मई, 2001 के लिए प्रस्ताव की सूचना जारी की। ऐसा प्रतीत होता है कि 2 मई, 2001 को मामला 4 सितंबर, 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 जुलाई, 2001 को याचिकाकर्ता ने सिविल विविध दायर किया। आवेदन संख्या 16341/2001 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता लंबे समय से सेवा से बाहर है और वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि रिट याचिका की सुनवाई पहले की जाए। याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा कि वह उस वकील की सहायता नहीं चाहते जिन्हें उनकी ओर से पेश होने के लिए नियुक्त किया गया था। प्रीपोनमेंट का आवेदन खारिज कर दिया गया।

(5) उपरोक्त याचिका में, उत्तरदाताओं ने उपस्थित होकर एक लिखित बयान दाखिल

किया। उत्तरदाताओं ने कई प्रारंभिक आपत्तियाँ उठाईं जो इस प्रकार हैं: -

"प्रारंभिक आपत्तियाँ:

1. उत्तर देने वाले उत्तरदाता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे, अर्थ और दायरे के भीतर राज्य का एक साधन नहीं है। यह कई उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें सिविल रिट याचिका संख्या 8014/96 राम स्नेही बनाम इफको और अन्य में इस माननीय उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच भी शामिल है। निर्णय की सच्ची प्रति अनुलग्नक आर -1 के रूप में संलग्न है। इस फैसले के बाद, छह अन्य मामलों को इस माननीय न्यायालय द्वारा जवाब देने वाले प्रतिवादी के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए निपटाया गया। ये मामले हैं:

1. 1981 का सीडब्ल्यूपी नंबर 357- एके महंत बनाम इफको और अन्य।
2. 1982 का सीडब्ल्यूपी नंबर 488-तिरलोचन सिंह बनाम इफको और अन्य।
3. सीडब्ल्यूपी नंबर 10402 ऑफ 1989-सी.पी. अरोड़ा बनाम इफको और अन्य।
4. 1989 का सीडब्ल्यूपी नंबर 10402-धनी राम और अन्य बनाम इफको।
5. 1989 का सीडब्ल्यूपी नंबर 11364- सुखा राम और अन्य बनाम इफको।
6. सीडब्ल्यूपी नंबर 1006-सुच्चा सिंह और अन्य बनाम इफको।

* सुनवाई के समय इन निर्णयों की प्रतियां पेश की जाएंगी।

* प्रतिवादी एक बहु-राज्य सहकारी समिति है जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (1984 का 51) के तहत पंजीकृत है। नीचे उद्धृत अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार प्रतिवादी को "राज्य" नहीं माना गया है।

(i) 1990 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2004 (लक्ष्मण सिंह और अन्य बनाम भारत

संघ और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी-लिमिटेड), 8 नवंबर, 1990 को माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा तय किया गया था।

(ii) 1986 का सीडब्ल्यूपी नंबर 139 (छीतर सिंह बनाम इफको, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 10 मार्च, 1986 को निर्णय दिया गया।

(iii) 1983 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 2025 (एस.एस. सक्सेना बनाम इफको) पर 1 अक्टूबर, 1991 को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया।

(iv) 1984 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6143 (श्याम लाल बनाम इफको और अन्य) का फैसला 11 फरवरी, 1992 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया।

(v) 1993 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7303 (बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और अन्य बनाम इफको और अन्य) 15 अक्टूबर, 1993 को पटना उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा तय किया गया था।

(vi) राम अवतार और अन्य बनाम। इफको 1992(1) वेस्टर्न लॉ केस, 700 (राजस्थान)।

(vii) 1998 का मैट नंबर 3815 (श्री पवन इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ और अन्य) 3 मार्च, 1999 को कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया।

(बी) उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के भीतर "राज्य" या "प्राधिकरण" नहीं है और इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका मान्य नहीं है और खारिज होने योग्य है।

(सी) ऊपर उल्लिखित सभी उच्च न्यायालयों ने उत्तर देने वाले प्रतिवादी के कामकाज, गठन और उपनियमों पर विस्तृत रूप से विचार किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में अपनाए गए तर्क पर भी विचार किया है कि कोई

विशेष निकाय राज्य था या नहीं और इसलिए परीक्षण निर्धारित करते हुए यह माना गया है कि प्रतिवादी एक "राज्य" नहीं है।

(डी) याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में कहीं भी यह नहीं कहा है कि प्रतिवादी एक राज्य है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस माननीय उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, रिट याचिका केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।

2. यह कि याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय में साफ़ नियत से नहीं आया है। उपरोक्त रिट याचिका संख्या 8014/1996 में याचिकाकर्ता स्वयं याचिकाकर्ता था। इस रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं के खिलाफ रिट सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने अनुचित इरादे से इस महत्वपूर्ण तथ्य को माननीय न्यायालय से छुपाया है। इस आधार पर भी रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

3. याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में कहा है कि उसने भिवानी में सिविल कोर्ट में विभिन्न सिविल मुकदमे दायर किए थे, लेकिन इस माननीय न्यायालय को उक्त मुकदमों के नतीजे का खुलासा नहीं किया है और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने यह खुलासा नहीं किया है कि वह उक्त सिविल मुकदमों में सफल था या अन्यथा क्या उसने वर्तमान रिट याचिका दायर करके इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले अपील के रास्ते समाप्त कर लिए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सिविल मुकदमे संबंधित सिविल अदालतों द्वारा खारिज कर दिए गए थे और याचिकाकर्ता ने कभी भी उक्त निर्णयों को चुनौती नहीं दी। इस आधार पर रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

4. अन्यथा भी वर्तमान रिट याचिका तथ्यों के कई विवादित प्रश्न उठाती है जिन पर रिट याचिका के माध्यम से विचार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान याचिका दायर करने में याचिकाकर्ता, अन्य बातों के अलावा, बकाया की संख्या जारी करने की मांग करता है, जिसके लिए वह खुद को हकदार होने का दावा करता है। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता इन बकाए का हकदार नहीं है क्योंकि उसने

संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किए हैं या उस नियम और प्रक्रिया का पालन नहीं किया है जो उसे इन बकाए का हकदार बनाता है। इसकी पृष्ठभूमि को उन तथ्यों से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है जिन्हें याचिकाकर्ता ने जानबूझकर छुपाया है। याचिकाकर्ता इफको में वरिष्ठ फील्ड प्रतिनिधि के पद पर कार्यरत था। उनके कर्तव्य में उनकी पोस्टिंग के क्षेत्र में किसानों के बीच उत्तरदाताओं के सामान की मांग को बढ़ावा देना और प्रचार करना शामिल था। अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक था। वह वर्ष 1995-96 में मोहिंदरगढ़ में तैनात थे। जनवरी, 1996 में उनका तबादला मोहिंदरगढ़ से अजनाला (पंजाब) कर दिया गया। उन्होंने नई तैनाती वाली जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुख्य रूप से अपनी पोस्टिंग भिवानी में करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने एक महीने की अवधि के लिए अजनाला में उसके शामिल होने का इंतजार किया। याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया. नतीजतन, याचिकाकर्ता पर 19 फरवरी, 1996 को आरोप पत्र दायर किया गया। याचिकाकर्ता ने जांच में भाग नहीं लिया। जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ कथित कदाचार का दोषी पाया गया। उन्हें इसके विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया गया। परिणामस्वरूप, 2 जून, 1998 को सेवा से हटाने का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की जिस पर विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। इन अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के दौरान याचिकाकर्ता ने 96 में से सीडब्ल्यूपी नंबर 8014 को प्राथमिकता दी थी। इसे माननीय न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उत्तर देने वाला प्रतिवादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य नहीं है। याचिकाकर्ता अब काफी देरी के बाद उत्तर देने वाले प्रतिवादी को परेशान करने के प्रयास में तथ्य के इन विवादित प्रश्नों को उठा रहा है। याचिका तथ्यों पर विवादित सवाल उठाने के अलावा देरी और देरी से भी बाधित है और इस तरह खारिज किए जाने योग्य है।

5. अन्यथा भी रिट याचिका खारिज करने योग्य है क्योंकि याचिकाकर्ता ने परमादेश की वर्तमान रिट को लागू करने से पहले किसी भी प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता नहीं दी है। वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।"

(6) उपरोक्त रिट याचिका 4 सितंबर, 2001 को मोशन सुनवाई के लिए आई और इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच (एस.एस. निज्जर और जे.एस. खेहर, जे.जे.)। निम्नलिखित आदेश पारित कर याचिका खारिज कर दी:-

"उपस्थित : व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।
पी.के. मुतनेजा, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं की ओर से।

एस.एस. निज्जर, जे. (मौखिक)

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के कथित बकाया को जारी करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग की गई है, जिसका उल्लेख प्रार्थना खंड में इस प्रकार है: -

"...6 जून, 1994 से जनवरी, 1996 तक एफ.एल.टी.ई.। अप्रैल 1995 से जनवरी, 1996 तक निश्चित ओ.सी.आर.। जनवरी 1996 के लिए निश्चित मेडिकल और कैंटीन सब्सिडी, 1995-1996 के लिए अनुग्रह राशि और पुरस्कार (अप्रैल 1995 से 18 तक) जनवरी, 1996), नियमों के अनुसार अप्रैल 1995 से अक्टूबर, 1995 तक के टी.ए. बिलों में न्यूनतम 7 लाख रुपये का मुआवजा और अत्यधिक मानसिक पीड़ा उत्पन्न करने के लिए उत्पीड़न के लिए न्यूनतम 3 लाख रुपये और न्यूनतम लागत 25,000 रुपये शामिल है, उपरोक्त सभी मुकदमों की लागत जो याचिकाकर्ता द्वारा इस रिट याचिका से पहले इन बकाया राशि की रिहाई के लिए दायर की गई थी।"

इससे पहले भी, याचिकाकर्ता ने 1996 की सीडब्ल्यूपी संख्या 8014 दायर की थी, जिसका निर्णय 2 सितंबर, 1996 के एक विस्तृत निर्णय द्वारा किया गया है, उस मामले में प्रतिवादी ने इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति ली थी कि रिट याचिका भारतीय किसान उर्वरक के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है। सहकारी लिमिटेड (इफको) भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" नहीं है। प्रासंगिक मामले कानून और इस न्यायालय के साथ-साथ अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए अन्य निर्णयों पर विचार करने के बाद, यह माना गया है कि आई.एफ.एफ.सी.ओ. भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" की परिभाषा में नहीं आता है। इस प्रकार यह इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं होगा। 2 सितंबर, 1996 को रिट याचिका के निर्णय के बाद, याचिकाकर्ता ने 14 मई, 1996 को श्री नरेंद्र कुमार मित्तल,

अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिविजन),भिवानी के न्यायालय में सिविल सूट संख्या 274/1996 स्थापित किया। 3 सितंबर, 1997 को यह माना गया कि भिवानी में सिविल कोर्ट का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है। यह भी माना गया कि मुकदमा या तो दिल्ली या मोहिंदरगढ़ (हरियाणा) में चलने योग्य है। वादपत्र को वादी (यहां याचिकाकर्ता) को वापस करने का आदेश दिया गया था। निडर होकर,याचिकाकर्ता ने 1 अप्रैल, 1998 को श्री डी.एन. भारद्वाज, एचसीएस, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), भिवानी की अदालत में फिर से सिविल सूट नंबर 37 स्थापित किया। इस मुकदमे का फैसला भी 15 सितंबर, 1999 को इस टिप्पणी के साथ किया गया था कि मामले की सुनवाई के लिए भिवानी की अदालत का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए वादपत्र नियमानुसार वादी को वापस किया जाए। याचिकाकर्ता ने 7 दिसंबर, 1998 को 1998 का सिविल सूट नंबर 209 भी दायर किया है। दोनों मुकदमे यानी 1 अप्रैल, 1998 के सिविल सूट नंबर 37 और 1998 के सिविल सूट नंबर 209 का फैसला एक सामान्य आदेश द्वारा किया गया था। सिविल न्यायालयों के किसी भी निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई। अदालत में सिविल मुकदमा दायर करने के बजाय, जिसका क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार दिल्ली या मोहिंदरगढ़ होगा, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना।7 फरवरी, 2001 को रिट याचिका में प्रस्ताव की सूचना जारी की गई, 31 अक्टूबर, 2000 को याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और कहा कि उनके पास वकील नियुक्त करने के लिए धन नहीं है। इसलिए एक पंकज मिगलानी, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। चूंकि श्री मिगलानी हरिद्वार स्थानांतरित हो गए हैं, याचिकाकर्ता की ओर से श्री एस.एस. राणा, वकील को नियुक्त किया गया था। इसके बाद, 3 जुलाई, 2001 को याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा कि वह उस वकील की सहायता नहीं चाहते हैं जिसे इस अदालत ने उनकी ओर से पेश होने के लिए नियुक्त किया है। पिछली रिट याचिका यानी 1996 की सीडब्ल्यूपी संख्या 8014 में याचिकाकर्ता भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ था।

इस याचिका में, याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जोरदार तर्क दिया कि

1996 के सीडब्ल्यूपी नंबर 8014 में डिवीजन बेंच के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है और प्रार्थना की कि याचिका को निर्णय के लिए एक बड़ी बेंच को भेजा जाए।

हमने याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है। उन्होंने नवनीत कौर बनाम मेडिकल कॉलेज मामले में कुछ फैसले का हवाला दिया है. वह उस मामले का विवरण देने में असमर्थ हैं. वह यह बताने में असमर्थ हैं कि मुकदमे का फैसला किस तारीख को हुआ है. वह यह बताने में असमर्थ हैं कि उपरोक्त मामले में 1996 के सीडब्ल्यूपी नंबर 8014 के फैसले पर विचार किया गया है या नहीं। इसलिए, हमें मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने के याचिकाकर्ता के अनुरोध में कोई योग्यता नहीं दिखती। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2 सितंबर, 1996 के डिवीजन बेंच के उपरोक्त फैसले को याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही दायर करके चुनौती नहीं दी गई है। अतः उपरोक्त निर्णय अंतिम हो गया है। यह हमारे लिए बाध्यकारी है. इसके अलावा, उपरोक्त रिट याचिका यानी 1996 की सीडब्ल्यूपी संख्या 8014 में निर्णय अंतर-पक्षीय है। इसलिए, यह याचिकाकर्ता के लिए भी बाध्यकारी है। परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा जिन दलीलों का आग्रह किया गया है उनमें से किसी को भी अब उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सिविल कोर्ट ने 1996 के सिविल सूट नंबर 274 में पारित अपने आदेश दिनांक 3 सितंबर, 1997 में स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि वादी का मुकदमा, यदि दायर किया जाता है, तो दिल्ली या यहां की अदालतों में चलने योग्य होगा। मोहिंदरगढ़. लेकिन याचिकाकर्ता ने सिविल अदालतों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को नजरअंदाज करना चुना। उन्होंने सिविल न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय को अपील/पुनरीक्षण के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती देने की भी परवाह नहीं की। इसके बजाय याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना जो इस न्यायालय द्वारा 1996 के सीडब्ल्यूपी संख्या 8014 में निर्धारित कानून के मद्देनजर स्पष्ट रूप से सुनवाई योग्य नहीं है। हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है।

उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के आचरण को अदालत द्वारा अस्वीकृति की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही, न्याय के हित में और याचिकाकर्ता के हित में, डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को एक वकील की सेवाएं देने की पेशकश की थी। निर्दयतापूर्वक, उन्होंने अधिकारी को ठुकरा दिया और एक वकील की सेवाएँ स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर भी हम पाते हैं कि वह सार्थक तरीके से अदालत की सहायता करने में असमर्थ है।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह रिट याचिका 5,000" रुपये के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

(7) संतुष्ट नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश की समीक्षा के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के तहत सिविल विविध 290/2001 दायर किया। उपरोक्त रिट याचिका में आवेदन संख्या 290/2001 उपरोक्त समीक्षा आवेदन भी 28 सितम्बर 2001 को निम्नलिखित आदेश के साथ खारिज कर दिया गया:-

"उपस्थित: श्री राम स्नेही, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से विस्तार से सुना।

उन्होंने प्रस्तुत किया है कि रिट याचिका प्रतिवादी-इफको के खिलाफ विचारणीय है, इस तथ्य के बावजूद कि इस न्यायालय द्वारा 1996 की रिट याचिका संख्या 8014 में निर्णय दिया गया है कि प्रतिवादी-इफको रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है।

पारित आदेश की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है।
बर्खास्त कर दिया गया।"

(8) इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 2002 का सीडब्ल्यूपी नंबर 13991 दायर किया। इस रिट याचिका को 5 सितंबर, 2002 को स्वतंत्र कुमार और एस.एस. सरोन, जेजे की एक डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित आदेश के साथ खारिज कर दिया: -

"वर्तमान: याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्ति.

इस याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता को ड्यूटी अवधि, टी.ए. का बकाया , वर्ष 1995 से 1996 तक के बिल, निश्चित मेडिकल और कैंटीन सब्सिडी, एक्सग्रेसिया, लिवरियां और पुरस्कारजारी करने के लिए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है। । याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि का भी भुगतान करने का आदेश दिया जाए। याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं का कर्मचारी होने का दावा करता है, इसलिए उसने ये दावे उठाए हैं और मुख्य रूप से तर्क दिया है कि मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर प्रतिवादी-इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड के खिलाफ एक रिट निहित है। **सुश्री रवनीत कौर बनाम द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना, 1997 (4) एस.एल.आर. पृष्ठ 220**। हमारे लिए तथ्यों को अधिक विस्तार से नोट करना आवश्यक नहीं है।

यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता ने 14 मई, 1996 को एक मुकदमा दायर किया था जिसे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, वादी ने दो और मुकदमे दायर किए - 1998 का सिविल सूट नंबर 37 और 1998 का 209। उन मामलों को भी खारिज कर दिया गया। फिर 30 अक्टूबर, 2000 को, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2000 की सीडब्ल्यूपी संख्या 14569 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसे 4 सितंबर, 2001 को पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा बर्खास्तगी के उक्त आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका भी दायर की गई थी। बर्खास्त. याचिकाकर्ता द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 नवंबर, 2001 के तहत फिर से खारिज कर दिया गया था। 26 नवंबर 2001 का आदेश इस प्रकार है:-

आक्षेपित निर्णय के अनुसार रिट याचिका को खारिज करना याचिकाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा

इन टिप्पणियों के साथ इस विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है।"

शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता केवल दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है। यह रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और पुनर्न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ गुण-दोष के आधार पर प्रभावित होती है। सीमा में खारिज कर दिया. लागत का कोई आर्डर नहीं।"

(9) फिर भी संतुष्ट नहीं होने पर, याचिकाकर्ता ने 2002 का सीडब्ल्यूपी नंबर 14448 दायर किया। ऊपर दिए गए सभी तथ्यों को देखने के बाद, रिट याचिका 24 अक्टूबर, 2002 को उसी डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दी गई जिसमें स्वतंत्र कुमार और एस.एस. सरोन, जेजे शामिल थे। डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का अंतिम भाग इस प्रकार है:-

"उपरोक्त आदेश के मद्देनजर, हमें इस रिट याचिका को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को दोबारा ऐसी याचिका दायर नहीं करनी चाहिए औरमाननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में उपलब्ध उपाय का सहारा लेते समय उचित संयम बरतना चाहिए। । लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।"

(10) याचिकाकर्ता को दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, उसने 2003 का एक और सीडब्ल्यूपी नंबर 4753 दायर किया। यह रिट याचिका 28 मार्च, 2003 को जे.एस. की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। खेहर और एम.एम. कुमार, जे.जे. शुरुआत में याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले को किसी अन्य बेंच में स्थानांतरित कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले को किसी अन्य बेंच में स्थानांतरित किया जाए। याचिकाकर्ता के अनुरोध पर मामले को किसी अन्य बेंच में स्थानांतरित किया जाता है।"

(11) मामले को 6 मई, 2003 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था जब वी.एम. की एक डिवीजन बेंच थी। जैन और एस.एस. सरोन जे.जे. निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, के अनुरोध पर, माननीय से उचित आदेश प्राप्त करने के बाद, इस याचिका को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें हम में से एक (एस.एस. सरोन, जे.) सदस्य नहीं है।" चीफ जस्टिस।"

(12) अंततः, रिट याचिका माननीय प्रथम डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिसमें बिनोद कुमार रॉय, मुख्य न्यायाधीश और वी.एम. शामिल थे। जैन, जे., 19 मार्च, 2004 को। रिट याचिका निम्नलिखित आदेश के साथ खारिज कर दी गई: -

"XX XX XX XX

2. इस रिट याचिका को स्वीकार करने के प्रश्न पर याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना।

3. इस रिट याचिका में दिए गए कथनों और उनके द्वारा किए गए निवेदन से, निम्नलिखित तथ्य हमारे सामने आए: -

(i) इन्हीं बकाए के लिए उनके द्वारा भिवानी में दायर किए गए तीन सिविल मुकदमे, जिनकी संख्या 274/1996, 37/1998 और 209/209 थे, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में खारिज कर दिए गए थे।

(ii) उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष इसी राहत के लिए वर्ष 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 14569 के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया था, जिसे हालांकि, 4 सितंबर, 2001 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उक्त रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। उन्होंने 4 सितंबर, 2001 के उपरोक्त आदेश की समीक्षा की याचिका दायर की, जिसे न्यायालय ने 28 सितंबर, 2001 के अपने आदेश के तहत खारिज कर दिया।

(iii) इसके बाद, उन्होंने एस.एल.पी. (सिविल) क्रमांक 190733 ऑफ़ 2001 में उनके समीक्षा आवेदन को ख़ारिज करने के आदेश के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26 नवंबर, 2001 द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करके इस विशेष अनुमति याचिका का निपटारा कर दिया:-

"आक्षेपित फैसले के अनुसार रिट याचिका को खारिज करना उचित अदालत के समक्ष राहत के लिए नागरिक मुकदमा दायर करने के याचिकाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, इन टिप्पणियों के साथ इस विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है।"

(iv) उन्होंने उपरोक्त आदेश में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर करके फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसे 22 जुलाई, 2002 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(v) उन्होंने उसी राहत के लिए 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 14448 दायर करके फिर से इस न्यायालय का रुख किया। उक्त रिट याचिका 26 अक्टूबर, 2002 के आदेश के तहत खारिज कर दी गई। इसके बाद, एक के बाद एक उन्होंने तीन समीक्षा आवेदन दायर किए, जो सभी खारिज कर दिए गए।

(vi) तत्काल रिट याचिका इस न्यायालय में उनका तीसरा प्रयास है।

4. तत्काल याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता अपनी प्रार्थना दोहराता है। हमारा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें उपयुक्त न्यायालय के समक्ष राहत के लिए एक नागरिक मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता देने के बाद मामले को शांत कर दिया गया था, इससे उन्हें इस न्यायालय में बार-बार जाने का कोई मौका नहीं मिलता है। हम उनके प्रयास की निंदा करते हैं और इस रिट याचिका को सरसरी तौर पर खारिज करते हैं।"

(13) भले ही डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता के व्यवहार की स्पष्ट रूप से निंदा की थी, उसने 2003 की एक और सिविल रिट याचिका संख्या 9492 दायर की, जो 3 नवंबर, 2003 को एच.एस. की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई। बेदी और विनी मित्तल, जे.जे. रिट याचिका निम्नलिखित आदेश के साथ खारिज कर दी गई:-

"उपस्थित: :
श्री राम स्नेही, याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से,
हमने याचिकाकर्ता को सुना है।

याचिकाकर्ता रिट याचिकाओं के माध्यम से कई बार इस न्यायालय में आया था और एक अवसर पर, उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं. उन्होंने भिवानी में एक सिविल मुकदमा भी दायर किया, जिसे भी खारिज कर दिया गया। यहां जिस राहत का दावा किया गया है उसका दावा पिछली सभी कार्यवाहियों में भी किया गया था। याचिकाकर्ता के पास है प्रस्तुत किया गया कि जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुन्हायमद बनाम मामले में दिया था। कराला राज्य 2000 (6) एससीसी 359, गैर-बोलने वाले आदेश द्वारा विशेष छुट्टी के चरण में बर्खास्तगी पुनर्न्याय नहीं होगी।

इस स्तर पर याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले को प्रथम डी.बी. के समक्ष रखा जाना चाहिए। ऊपर बताए गए तथ्यों के मद्देनजर, हमें याचिकाकर्ता के इस निवेदन या रिट याचिका में कोई औचित्य नहीं मिलता है।

बर्खास्त कर दिया गया।"

(14) सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की, जो 2 नवंबर, 2004 को इस पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। हमने देखा कि याचिकाकर्ता ने माननीय को संबोधित एक पत्र संलग्न किया था। 1 नवंबर, 2004 को मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया, जो इस प्रकार है:-

"को

माननीय मुख्य न्यायाधीश,
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय,
चंडीगढ़।

आर/सर.

कि इस माननीय उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश मेरे प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। इसलिए कृपया रजिस्ट्री को आदेश दें कि मेरी वर्तमान रिट यानी आज दिनांक 1 नवंबर, 2004 को दायर की गई डेयरी नंबर 116529 जिसका शीर्षक राम स्नेही बनाम इफको और

अन्य है, को अपनी माननीय पीठ के समक्ष या माननीय श्री न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें अन्यथा। याचिकाकर्ता भूखा मर जाएगा.

आपका विश्वासी,

एसडी/...
(राम स्नेही)
व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता"

(15) उपरोक्त नोट के मद्देनजर, हमने 2 नवंबर, 2004 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:--

"नोट के मद्देनजर, उचित आदेश के लिए पेपर-बुक को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।"

(16) प्रशासनिक पक्ष की ओर से मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया। 3 नवंबर, 2004 को माननीय मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की:-

"रोस्टर के अनुसार, याचिकाकर्ता की इसी तरह की प्रार्थना को मेरे द्वारा प्रशासनिक रूप से खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट गया, जिसने उसकी प्रार्थना को खारिज कर दिया।"

(17) 4 नवंबर, 2004 को मामला 16 नवंबर, 2004 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उस तारीख को, हमने निम्नलिखित आदेश पारित किया:- "वर्तमान:

श्री राम स्नेही, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

कार्यालय को वर्तमान याचिका के साथ 2000 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14569, 2002 के 13991, 2002 के 14448, 2003 के 4753 और 2003 के 9492 की पेपर-बुक को टैग करने का निर्देश दिया गया है। 18 नवंबर, 2004 तक स्थगित कर दिया गया।"

(18) 18 नवंबर, 2004 को मामला पूरे रिकॉर्ड के साथ हमारे सामने रखा गया, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। इस स्तर पर, याचिकाकर्ता ने फिर से जोर देकर कहा कि मामले को जी.एस. सिंघवी, जे. की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। हमने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि मामला मुख्य न्यायाधीश हॉबल के विशिष्ट आदेशों पर हमारे सामने सूचीबद्ध किया गया था। इसलिए ऐसे कोई निर्देश देना उचित नहीं होगा. इसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रस्ताव का नोटिस केवल उत्तरदाताओं से यह पूछने के लिए जारी किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए सिविल मुकदमे का बचाव वे कहां करना चाहेंगे। हालाँकि, याचिकाकर्ता को सलाह दी गई थी कि अधिकार क्षेत्र के मामलों का निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य प्रासंगिक कानूनों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। इसलिए, केवल इस उद्देश्य के लिए प्रस्ताव का नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं था। याचिकाकर्ता को विभिन्न पीठों द्वारा व्यक्त की गई उच्च न्यायालय की नाराजगी के बारे में भी बताया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि आदेश पारित किया जाए और उसे उसे भेजा जाए ताकि वह उच्चतम न्यायालय का रुख कर सके।

(19) याचिकाकर्ता का आचरण ऐसा है कि उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करना हमारे लिए उचित होगा। हालाँकि, हम न्याय के व्यापक हित में ऐसा करने से बचते हैं। हम उन्हें कोई भी अनावश्यक प्रचार देने से इनकार करते हैं। न्याय के हित में, हम कोई लागत नहीं लगाते हैं।

(20) बर्खास्त.

(21) हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा इस फैसले की एक प्रति अपने घर के पते पर उपलब्ध कराने का अनुरोध असामान्य है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए और न्याय के हित में, हम कार्यालय को फैसले की एक प्रति भेजने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ता को पीठ के विशेष सचिव (डी) द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय

का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी